

राष्ट्रीय · National

SC का पंजाब में पुनर्मतदान आदेश; CEC क़ानून पर पुनर्विचार, कैबिनेट का विशेष प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के 50 वार्डों में पुनर्मतदान का आदेश दिया। CEC नियुक्ति क़ानून पर पुनर्विचार याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति। कैबिनेट ने पीएम के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रस्ताव पारित किया।

राष्ट्रीय · National

1. SC: पंजाब में पुनर्मतदान

- 50 वार्डों में पुनर्मतदान का निर्देश
- HC सेवानिवृत्त जज की मॉनिटरिंग कमेटी

राष्ट्रीय · National

2. CEC क़ानून पर पुनर्विचार

- स्प्लिट वर्डिक्ट रिकॉल पर विचार
- अनुच्छेद 324 की परीक्षा फिर से

राष्ट्रीय · National

3. कैबिनेट का विशेष प्रस्ताव

- PM के 25 वर्षों पर प्रस्ताव
- कैबिनेट की सामूहिक उत्तरदायित्व समझें

राष्ट्रीय · National

4. परीक्षा संकेत

- अनु. 243ZA व 324 अनिवार्य
- Free & Fair Election सिद्धांत

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

SC पीठ संरचना (पंजाब मामला)

CJI सुर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या
बागची, जस्टिस वी. मोहना

आदेश की उपलब्धता

7 अक्टूबर 2026 को SC 'लेटेस्ट ऑर्डर्स'
में अपलोड

पुनर्मतदान दायरा

पंजाब के 50 नगर निकाय वार्ड

निगरानी समिति

पंजाब-हरियाणा HC के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश की अध्यक्षता

**संवैधानिक प्रावधान
(नगर निकाय)**

अनुच्छेद 243ZA

**संवैधानिक प्रावधान
(ECI)**

अनुच्छेद 324

अभ्यास प्रश्न • Practice MCQ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब में पुनर्मतदान आदेश किस स्तर के चुनाव से जुड़ा है?

A नगर निकाय

B लोकसभा

C राज्य विधानसभा

D जिला परिषद

उत्तर / Answer: A — समाचार के अनुसार आदेश नगर निकाय के 50 वार्डों पर लागू है।

अभ्यास प्रश्न • Practice MCQ

पुनर्मतदान की निगरानी के लिए समिति किसके नेतृत्व में गठित होगी?

A सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश

B भारत के CEC

C गृह सचिव

D NITI आयोग उपाध्यक्ष

उत्तर / Answer: A — SC ने सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति का अनुरोध किया।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends